राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

कमांक प .9(1) प्र.सु./सम/अनु.–1/2018 जयपुर, दिनांक 14.09.2020

"परिपत्र"

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जन घोषना के बिन्दु संख्या 27.42 में राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राजकीय तथा जनता के कार्यो की फाईलों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण तथा जनता के प्रति जवाबदेही को निर्धारित करने के संबंध में सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गाांरटी अधिनियम वर्ष 2011 के अंतर्गत राज्य सरकार में 25 विभागों की 221 लोक सेवाओं के लिये निर्धारित समयाबधि में निस्तारण कर आमजन को इसका लाभ पहुचाने के उद्वेश्य से लागू किया गया था। ज़िसमें कार्य का तय समय पर नही होने की स्थिति में अपील एवं शास्ति का प्रावद्यान निर्धारित किया गया था। लेकिन राज्य सरकार के ध्यान मे आया है कि राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय तथा जनता के कार्य निर्धारित समय–सीमा पर सम्पादित नही हों रहे है। जिससे आम जनता को इसका लाभ समय पर नही मिल पा रहॉ है।

अतः अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवगणों को निर्देशित किया जाता है कि लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 की कियान्विति सुचारू ढंग से नही करने वाले दोषी अधिकारी /कर्मचारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे।

(राजीव स्वरूप)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त जिला कलेक्टर
6. उप शासन सचिव, जन अभाव अभियोग निराकण विभाग
7. रक्षित पत्रावली

(अश्विनी भगत)
प्रमुख शासन सचिव